न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 27/2018 जिला सीकर ।

1. प्रभाती देवी पुत्री रूडा जाति जाट निवासी ठीकरिया, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2. झमरी पत्नि बोदूराम।
3. बीरबल पुत्र बोदूराम।
4. बलदेव पुत्र बोदूराम।
5. गोरधन पुत्र बोदूराम।
6. रामधन पुत्र बोदूराम समस्त जाति जाट निवासी ठिकरिया तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर दिनांक 23.03.2017 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक –02.02.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 23.03.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 21.05.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर ने ग्राम ठीकरिया, तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 451, 449, 497, 498, 506, 507, 508, 494, 495, 514/1, 510, 1138/513 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व 16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53/राजस्व/2016 दिनांक 2.11.2016 द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व ग्राम ठिकरिया के खसरा नम्बर 451, 449, 497, 498, 506, 507, 508, 494, 495, 514/1, 510, 1138/513 में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये।
2. न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के निर्णय दिनांक 23.03.2017 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटन संख्या 2 से 6 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। रेस्पोडेंट 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम ठिकरिया तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 451, 448 किता 2 रकबा 5.04 है0 की खातेदारी अपीलांटस 1/2 भाग व अप्रार्थी 2 से 6 हिस्सा 1/2 भाग के है। उनका कहना है कि विवादित भूमि के अपीलांट व रेस्पोडेंट सह खातेदार है । प्रार्थीयान की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने पटवार घर पर बैठे बैठे ही रिपोट तैयार कर प्रस्तुत की है। विवादित भूमि पर प्रार्थीयान ने गैहूँ व जौ आदि की फसल की है एवं पूर्व में भी फसल मौके पर रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी व तहसीलदार के प्रस्ताव को अकाट्य मानकर प्रभावित खातेदारो को नोटिस न देकर निर्णय देने में गंभीर भूल की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2017 को निरस्त किया जावे । अधिवक्ता अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.03.2017 का है लेकिन अपीलांट विधिक अज्ञानता के कारण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधिनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 14.05.2018 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 भी स्वीकार फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम ठिकरिया, तहसील खण्डेला, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 451 के खातेदारों की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 17.01.2017 को तहसीलदार खण्डेला ने रिपोर्ट पटवारी हल्का ठिकरिया, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न् कर उप खण्ड अधिकारी खण्डेला को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी खण्डेला ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2017 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

6. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हत उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार खण्डेला के प्रस्ताव दिनांक 17.01.2017 के अनुसार ग्राम ठीकरिया, तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 451, 449, 497, 498, 506, 507, 508, 494, 495, 514/1, 510, 1138/513 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर ने उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2017 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2017 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

(सेवा राम
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2017 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
8. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner